

सु० न०:- 8 / 2024

तारीखरजू:- 2/2/24

उनवान:- मुकन्दी लाल बनाम उमरदीन वगै०
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक फर्द अहकाम

2/24 प्रार्थी की ओर से श्री विजय भारती एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा०टि०एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायलान को बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहर के नोटिस जरिए रजिस्टर्ड ए.डी. से तलब होकर पत्रावली दिनांक 06.02.2024 को पेश हो।

507-22
895974
24

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगपुर सिटी

24 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी नं० 1 लगात 5, 7, 8, 15 की ओर से श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा एड० ने बकालनामा पेश किया। जो शामिल पत्रावली रहे। व प्रतिवादी नं० 16 की ओर से श्री राजकुमार सिंह एड० ने बकालनामा पेश किया। जो शामिल पत्रावली रहे एवं प्रतिवादी 10, 14 की कोट देने की रिपोर्ट प्राप्त हुई। एवं प्रतिवादी नं० 6, 9, 11, 12, 13 के नोटिस तामील अदम प्राप्त हुए। वास्ते एड० प्रार्थना पत्र अदम मुकाम व तलबी एवं जबाब पेश करने दिनांक 26.3.24 को पेश हो।

(Signature)

28/24

पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगित रख गया है। पीठासन अधिकारी अमरगंज एड० के द्वारा दिनांक 29.4.24 को पेश हो।

(Signature)

29/24

पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित। वास्ते एड० प्रार्थना पत्र अदम मुकाम व तलबी एवं जबाब पेश करने दिनांक 21.5.24 को पेश हो।

(Signature)



